इद
288/17/2025 बलिष्ठ राम vs घासी

तारीख पेशी	बनाम 2017/00288 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

बलिष्ठ राम बनाम घासी वगैरह

31.12.18

पत्रावली हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा दिनांक 27.06.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 13.8600 हैक्टेयर वाकै ग्राम नासनोता तहसील मौजामबाद की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने के आदेश दिये हैं। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 06.07.2010 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चुंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की तलबी पूर्ण किये बिना ही उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए ही प्रकरण का निस्तारण करना होता हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट (न्याय आपके द्वार) में बिना अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये कि उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया हैं जो विधि सम्मत नही हैं। न्यायहित में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 60 दिवस में निस्तारण करें। यदि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण नहीं किया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.06.2017 निरस्त समझा जावें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	